



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239233
CG-DL-E-30092022-239233

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4415]
No. 4415]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ ASVINA 8, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4623(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2022 की अधिसूचना का.आ.1551(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यतः अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2022 से छः माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2022

S.O. 4623(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as ‘disturbed area’ vide Notification S.O.1551(E) dated 01.04.2022.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts and in the area falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as ‘disturbed area’ under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.10.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.